न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12(RTI)/03/2025 रजि० नं0 2025/24 प्रवेश तिथि 30.10.2025

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
श्री पुष्पेन्द्र पुत्र हीरालाल निवासी मौहल्ला चाकरवाटी तिजारा रोड वार्ड न0 11 किशनगढबास 301405 जिला खैरथल–तिजारा (राज0)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 20.11.2025

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 23.09.2025 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से जरिये नोटिस क्रमांक 1623 दिनांक 31.10.2025 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 07.11.2025 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ। अपीलार्थी ने दिनाक 10.11.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर अवगत कराया है, कि प्रकरण में जारी नोटिस की जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई है। अतः प्रकरण में वास्ते सुनवाई हेतु अन्य तारीख नियत की जावे। प्रकरण में पुनः नोटिस क्रमाक 1681 दिनाक 13.11.2025 जारी कर तारीख पेशी दिनाक 20.11.2025 नियत की गयी। नियत तिथि पर अपीलार्थी उपस्थित होकर अपना कथन पेश किया गया।

4–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने जर्ये पत्राक लोक. सूचना /2005/10178 दिनाक 31.10.2025 के द्वारा जवाब पेश किया गया है, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, अपीलार्थी द्वारा पेश प्रथम आवेदन पत्र दिनाक 23.09.2025 में वर्णित सूचनाओ के बाबत की गयी कार्यवाही की सूचना अपीलार्थी को भिजवायी जा चूकि है, जिसकी प्रति भी संलग्न की गयी है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विधिवत कार्यवाही की गयी है।

5–पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा समुचित जवाब प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही है, अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6–अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7–आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अति0 जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा

अति0जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल-तिजारा